प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक:७०-२१/कार्य0/अ0वि0रो0/बजट/एससीएसपी/2010–11, दिनांक 14 मार्च–2011

विषय: अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लाभार्थियों हेतु धनराशि की अवमुक्ति।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–366/26–ब0प्र0–2010–18एबीआरवाई/09, दिनांक 30–04–2010 (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिनके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–83 में अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्तर्गत प्रावधानित धनराशि रू0 4.00 करोड़ में से रू0 2.00 करोड़ (रूपये दो करोड़ मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निस्तारण पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। पुनः शासनादेश संख्या–190/26–ब0प्र0–2011–7एबीआरवाई/10, दिनांक 28–02–2011 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा बजट प्राविधान की अवशेष धनराशि रू0 2.00 करोड़ आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निर्वतन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान करते हुये सम्पूर्ण धनराशि रू0 4.00 करोड़ के व्यय की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गयी हैं शासन द्वारा स्वीकृत उक्त धनराशि रू0 4.00 करोड़ संलग्नक के कालम–4 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है:–

1– आवंटित की जा रही का व्यय करते समय उपरिसन्दर्भित शासनादेश संख्या–366/26–ब0प्र0–2010–18एबीआरवाई/09, दिनांक 30–04–2010 तथा शासनादेश संख्या–190/26–ब0प्र0–2011–7एबीआरवाई/10, दिनांक 28–02–2011 शासनादेशों में उल्लिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा एवं धनराशि का व्यय उन्ही प्रयोजनों हेतु किया जायेगा, जिनका उल्लेख उक्त शासनादेशों में किया गया हैं।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–83 के लेखाशीर्षक–"2515–अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–05–अम्बेडकर रोजगार योजना–27–सब्सिडी" के नामे डाला जायेगा।

3– आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक: उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,

(संजीव कुमार)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

Shiv_Jay 2010-11

पत्रॉक:— /कार्य0/अ0वि0रो0/बजट/एससीएसपी/2010—11उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा, उ0प्र0 इलाहाबाद।

2— प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

3— सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0शासन।

4— समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उ0प्र0।

5— वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग—3/वित्त (आय—व्ययक) अनुभाग—2/
राज्य योजना आयोग—2 नियोजन अनुभाग—4

6— ग्राम्य विकास अनुभाग—3

7— विशेष सचिव, बजट प्रकोष्ठ/समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0शासन को शासनादेश संख्या—190/26—ब0प्र0—2011—7एबीआरवाई/10, दिनांक 28—02—2011क्रम में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0

पत्रांक-6021/कार्य0/अ0वि0रो0/बजट/एससीएसपी/2010-11, दिनांक 15मार्च-2011 का संलग्नक

अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लाभार्थियों हेतु धनराशि की अवमुक्ति

क्रमांक	जनपद का नाम	प्रत्यक्ष लाभार्थी संख्या जिसके लिए आवंटन किया जा रहा है।	अवमुक्त धनराशि धनराशि (रू0 में)
1	2	3	4
	पश्चिमी क्षेत्र		
1	मेरठ	54	540000
2	गाजियाबाद	40	400000
3	बुलन्दशहर	78	780000
4	गौतमबुद्वनगर	20	200000
5	बागपत	30	300000
	मेरठ मण्डल	222	2220000
6	सहारनपुर	54	540000
7	मुजफफरनगर	68	680000
	सहारनपुर मण्डल	122	1220000
8	मुरादाबाद	64	640000
9	बिजनौर	54	540000
10	रामपुर	30	300000
11	ज्योतीबाफूलेनगर	30	300000
	मुरादाबाद मण्डल	178	1780000
12	बरेली	74	740000
13	बदायूं	88	880000
14	शाहजहॉपुर	74	740000
15	पीलीभीत	34	340000
	बरेली मण्डल	270	2700000
16	आगरा	74	740000
17	मैनपुरी	54	540000
18	फिरोजाबाद	44	440000
19	महामायानगर(हाथरस	34	340000
	आगरा मण्डल	206	2060000
20	अलीगढ	58	580000
21	एटा	40	400000
22	मथुरा	48	480000
23	मा0कांशीरामनगर	34	340000
	अलीगढ मण्डल	180	1800000
	कुल योग	1178	11780000
	बुन्देलखण्ड क्षेत्र		
1	झांसी	40	400000
2	जालौन	44	440000
3	ललितपुर	30	300000
	झांसी मण्डल	114	1140000
4	बांदा	40	400000
5	हमीरपुर	34	340000
6	महोबा	20	200000
7	चित्रकूट	24	240000
	चित्राकूट मण्डल	118	1180000
	कुल योग	232	2320000

अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लाभार्थियों हेतु धनराशि की अवमुक्ति

क्रमांक	जनपद का नाम	प्रत्यक्ष लाभार्थी संख्या	अवमुक्त धनराशि
		जिसके लिए आवंटन किया जा रहा है।	धनराशि (रू0 में)
	पूर्वी क्षेत्र		
1	इलाहाबाद	98	980000
2	फतेहपुर	64	640000
3	प्रतापगढ	84	840000
4	कौशाम्बी	40	400000
	इलाहाबाद मण्डल	286	2860000
5	वाराणसी	38	380000
6	गाजीपुर	78	780000
7	जौनपुर	102	1020000
8	चन्दौली	44	440000
	वाराणसी मण्डल	262	2620000
9	मिर्जापुर	58	580000
10	सोनभद्र	38	380000
11	सन्त रविदास नगर	28	280000
	मीरजापुर मण्डल	124	1240000
12	गोरखपुर	92	920000
13	देवरिया	78	780000
14	कुशीनगर	68	680000
15	महाराजगंज	58	580000
	गोरखपुर मण्डल	296	2960000
16	बस्ती	68	680000
17	सिद्वार्थनगर	68	680000
18	संतकबीरनगर	44	440000
	बस्ती मण्डल	180	1800000
19	आजमगढ	108	1080000
20	मऊ	44	440000
21	बलिया	82	820000
	आजमगढ मण्डल	234	2340000
22	फैजाबाद	44	440000
23	बाराबंकी	82	820000
24	सुल्तानपुर	108	1080000
25	अम्बेडकरनगर	44	440000
	फैजाबाद मण्डल	278	2780000
26	गोन्डा	78	780000
27	बहराइच	68	680000
28	बलरामपुर	44	440000
29	श्रावस्ती	24	240000
	देवीपाटन मण्डल	214	2140000
	कुल योग	1874	18740000

अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के लाभार्थियों हेतु धनराशि की अवमुक्ति			
क्रमांक	जनपद का नाम	प्रत्यक्ष लाभार्थी संख्या	अवमुक्त धनराशि
		जिसके लिए आवंटन किया जा रहा है।	धनराशि (रू0 में)
	मध्य क्षेत्र		
1	कानपुर नगर	48	480000
2	कानपुर देहात	48	480000
3	इटावा	38	380000
4	फर्रुखाबाद	34	340000
5	कन्नौज	38	380000
6	औरैया	34	340000
	कानपुर मण्डल	240	2400000
7	लखनऊ	38	380000
8	सीतापुर	92	920000
9	उन्नाव	78	780000
10	हरदोई	92	920000
11	लखीमपुर खीरी	74	740000
12	रायबरेली	102	1020000
	लखनऊ मण्डल	476	4760000
	कुल योग	716	7160000
	राज्य योग	4000	40000000
		(रू0 चार करोड़ मात्र)	

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त (लेखा)
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

संख्या– 366 /26–ब0प्र0–2010–18एवीआरवाई/2009

प्रेषक,

भवनाथ
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

आयुक्त
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0 लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण लखनऊः दिनांकः 30 अप्रैल, 2010

विषयः– वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना (एवीआरवाई) के अन्तर्गत एस0सी0एस0पी0 मद अनुदान संख्या–83 से सम्बन्धित धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–356/कार्य0/अ0वि0रो0यो0/2010–11 दिनांक 7.4.2010 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत संचालित अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना (ए0वी0आर0वाई0) के कियान्वयन हेतु प्रावधानित धनराशि रू0 400.00 लाख (रू0 चार करोड़ मात्र) के सापेक्ष वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26 मार्च, 2010 के प्रस्तर–2 के उपबिन्दु–3 में दी गयी व्यवस्था के अनुरूप 50 प्रतिशत की धनराशि अर्थात कुल रू0 200.00 लाख (रू0 दो करोड़ मात्र) आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु श्री राज्यपाल महोदय इस शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि प्रश्नगत धनराशि का व्यय परियोजनावार शासन स्तर से परियोजना की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही किया जायेगा ।

2– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक में अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–"2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम– आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना–05–अम्बेडकर रोजगार योजना–27–सब्सिडी" के नामें डाला जायेगा ।

3– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010, दिनांक 26.3.2010 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(भवनाथ)
विशेष सचिव।

संख्या–366 (1)/26–ब0प्र0–2010–तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
2– निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
3– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
4– अपर आयुक्त, लेखा, ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3/वित्त (आय–व्ययक) अनु0–1/नियोजन अनुभाग–3
6– योजना से सम्बन्धित समस्त लाइन विभाग द्वारा आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
7– गार्डफाइल ।

आज्ञा से,

(उमा शंकर सिंह)
अनु सचिव ।

संख्या– १९०/26 ब.प.2011–7ए.वी.आर.वाई./10

प्रेषक,

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0, लखनऊ।

बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग — लखनऊः दिनांकः २८ फरवरी , 2011

विषयः– अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान संख्या–83 (एस0सी0एस0पी0 मद) में प्रदेश के सभी 18 मण्डलों हेतु स्वरोजगार सृजन परियोजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–353/कार्य/अ0वि0रो0यो0/2010–11 दिनांक 7 अप्रैल, 2010 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एससीएसपी मद अनुदान संख्या–83 में रू0 4,00,00,000/–(रूपये चार करोड़ मात्र) की बजट व्यवस्था हुई है जिसमें से शासनादेश संख्या–366/26–ब0प्र0–2010–18एवीआरवाई/09, दिनांक– 30 अप्रैल, 2010 द्वारा रू0 2,00,00,000/– (रूपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु स्वीकृत हुई थी । वित्तीय वर्ष 2010–11 में अनुदान सं0– 83 में आय–व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष रू0 2,00,00,000/– (रूपये दो करोड मात्र) की धनराशि भी आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है। इस प्रकार आपके उक्त पत्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 द्वारा 18 मण्डलों के विस्तारीकरण प्रस्ताव हेतु रू0 4,00,00,000/– (रूपये चार करोड़ मात्र) निम्न विवरण तथा शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन उच्च स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती हैः–

मण्डल का नाम	मण्डलान्तर्गत जनपदों का नाम	प्रत्यक्ष लाभार्थियों की संख्या	धनराशि	मण्डल के जनपदों में रोजगार इकाई
1	2	3	4	5

go 990

1—मेरठ (पश्चिमी क्षेत्र)	मेरठ	54	540000	डनलप कार्ट स्कूल बैग, कांच की मूर्तियों पर आधारित विभिन्न वस्तुओं का निर्माण/कांच उद्योग, हेयर कटिंग, मिल्क प्रोडक्ट पनीर/खोया, सूक्ष्म जलपान ढावा, चर्म वस्त्र, पत्थर तरासी, मौन पालन, दुग्ध उत्पादन, ट्रैक्टर मरम्मत एवं पम्पिंग सेट मरम्मत व पूर्जो की बिक्री, रेडीमेट गारमेंट्स, मोढ़ा उत्पादन एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य कार्य।
	गाजियाबाद	40	400000	
	बुलन्दशहर	78	780000	
	गौतमबुद्धनगर	20	200000	
	बागपत	30	300000	
	मेरठ मण्डल	222	2220000	
2—आगरा	आगरा	74	740000	डनलप कार्ट, स्कूल बैग, कांच की मूर्तियों पर आधारित विभिन्न वस्तुओं का निर्माण/कांच उद्योग, हेयर कटिंग, मिल्क प्रोडक्ट पनीर/खोया, सूक्ष्म जलपान ढावा, चर्म वस्त्र, पत्थर तरासी, मौन पालन, दुग्ध उत्पादन, ट्रैक्टर मरम्मत एवं पम्पिंग सेट मरम्मत व पूर्जो की बिक्री, रेडीमेड गारमेंट्स, मोढ़ा उत्पादन एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य कार्य।
	मैनपुरी	54	540000	
	फिरोजाबाद	44	440000	
	महामायानगर (हाथरस)	34	340000	
	आगरा मण्डल	206	2060000	
3—अलीगढ़ मण्डल	अलीगढ़	58	580000	डनलप कार्ट, स्कूल बैग, कांच की मूर्तियों पर आधारित विभिन्न वस्तुओं का निर्माण/कांच उद्योग, हेयर कटिंग, मिल्क प्रोडक्ट पनीर/खोया, सूक्ष्म जलपान ढावा, चर्म वस्त्र, पत्थर तरासी, मौन पालन, दुग्ध उत्पादन, ट्रैक्टर मरम्मत एवं पम्पिंग सेट मरम्मत व पूर्जो की बिक्री, रेडीमेड गारमेंट्स, मोढ़ा उत्पादन एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य कार्य।
	एटा	40	400000	
	मथुरा	48	480000	
	मा0कांशीराम नगर	34	340000	
	अलीगढ़ मंडल	180	1800000	
4—झाँसी मण्डल	झाँसी	40	400000	गोरा पत्थर मूर्ति निर्माण, सूक्ष्म जलपान ढावा केन्द्र, दुग्ध उत्पादन, बेकरी का कार्य, हेयर सैलून, दर्जी, रेडीमेड्स, ट्रैक्टर मरम्मत एवं पंम्पिंग सेट मरम्मत व पुर्जो की बिक्री एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य कार्य।
	जालौन	44	440000	
	ललितपुर	30	300000	
	झांसी मण्डल	114	1140000	
5—चित्रकूट मंडल	बाँदा	40	400000	गोरा पत्थर मूर्ति निर्माण, सूक्ष्म

	हमीरपुर	34	340000	जलपान ढावा केन्द्र, दुग्ध उत्पादन, बेकरी का कार्य, हेयर सैलून, दर्जी, रेडीमेट्स, ट्रैक्टर मरम्मत एवं पंम्पिंग सेट मरम्मत व पुर्जो की बिक्री एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य कार्य।
	महोबा	20	200000	
	चित्रकूट	24	240000	
	चित्रकूट मंडल	118	1180000	
6–कानपुर मण्डल	कानपुर नगर	48	480000	स्कूल बैग, बेकरी का कार्य, चिकन/साड़ी बुनाई एवं छपाई, टेलरिंग, काष्टशिल्प, मिट्टी बर्तन, लान्ड्री, हेयर कटिंग, दुग्ध उत्पादन, ट्रैक्टर मरम्मत एवं पम्पिंग सेट मरम्मत, इलेक्ट्रानिक सेवा एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य कार्य।
	कानपुर देहात	48	480000	
	इटावा	38	380000	
	फर्रूखाबाद	34	340000	
	कन्नौज	38	380000	
	औरैया	34	340000	
	कानपुर मंडल	240	2400000	
7–सहारनपुर मण्डल	सहारनपुर	54	540000	डनलप कार्ट, स्कूल बैग, कांच की मूर्तियों पर आधारित विभिन्न वस्तुओं का निर्माण/कांच उद्योग, हेयर कटिंग, मिल्क प्रोडक्ट पनीर/खोया, सूक्ष्म जलपान ढावा, चर्म वस्त्र, पत्थर तरासी, मौन पालन, दुग्ध उत्पादन, ट्रैक्टर मरम्मत एवं पम्पिंग सेट मरम्मत व पूर्जो की बिक्री, रेडीमेड गारमेंट्स, मोढ़ा उत्पादन एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य कार्य।
	मुजफ्फरनगर	68	680000	
	सहारनपुर मंडल	122	1220000	
8–मुरादाबाद	मुरादाबाद	64	640000	डनलप कार्ट, स्कूल बैग, कांच की मूर्तियों पर आधारित विभिन्न वस्तुओं का निर्माण/कांच उद्योग, हेयर कटिंग, मिल्क प्रोडक्ट पनीर/खोया, सूक्ष्म जलपान ढावा, चर्म वस्त्र, पत्थर तरासी, मौन पालन, दुग्ध उत्पादन, ट्रैक्टर मरम्मत एवं पम्पिंग सेट मरम्मत व पूर्जो की बिक्री, रेडीमेड गारमेंट्स, मोढ़ा उत्पादन एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य कार्य।
	बिजनौर	54	540000	
	रामपुर	30	300000	
	ज्योतिबाफुलेनगर	30	300000	
	मुरादाबाद मंडल	178	1780000	
9–बरेली मण्डल	बरेली	74	740000	डनलप कार्ट, स्कूल बैग, कांच की मूर्तियों पर आधारित विभिन्न वस्तुओं का निर्माण/कांच उद्योग, हेयर कटिंग, मिल्क प्रोडक्ट पनीर/खोया, सूक्ष्म जलपान
	बदायूँ	88	880000	
	शाहजहॉपुर	74	740000	
	पीलीभीत	34	340000	
	बरेली मंडल	270	2700000	

				ढावा, चर्म वस्त्र, पत्थर तरासी, मौन पालन, दुग्ध उत्पादन, ट्रैक्टर मरम्मत एवं पम्पिंग सेट मरम्मत व पूर्जो की बिक्री, रेडीमेड गारमेंट्स, मोढ़ा उत्पादन एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य कार्य।
10—लखनऊ	लखनऊ	38	380000	स्कूल बैग, बेकरी का कार्य, चिकन/साड़ी बुनाई एवं छपाई, टेलरिंग, काष्टशिल्प, मिट्टी वर्तन, लान्ड्री, हेयर कटिंग, दुग्ध उत्पादन, ट्रैक्टर मरम्मत एवं पम्पिंग सेट मरम्मत, इलेक्ट्रानिक सेवा एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य कार्य।
	सीतापुर	92	920000	
	उन्नाव	78	780000	
	हरदोई	92	920000	
	लखीमपुर खीरी	74	740000	
	रायबरेली	102	1020000	
	लखनऊ मंडल	476	4760000	
11—इलाहाबाद मण्डल	इलाहाबाद	98	980000	दोनापत्तल कागज की प्लेट्स/थाली, पीतल के बर्तन/डेकोरेशन सामग्री का उत्पादन, फर्नीचर काष्टशिल्प, मूंज पर आधारित वस्तु निर्माण, हेयर कटिंग सैल्यून, सूक्ष्म जलपान/ढाबा केन्द्र, मिट्टी के बर्तन का कार्य, दुग्ध उत्पादन, टेराकोटा/ब्लैक पाटरी, साड़ी बुनाई एवं छपाई एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य कार्य।
	फतेहपुर	64	640000	
	प्रतापगढ़	84	840000	
	कौशाम्बी	40	400000	
	इलाहाबाद मंडल	286	2860000	
12—वाराणसी मण्डल	वाराणसी	38	380000	दोनापत्तल कागज की प्लेट्स/थाली, पीतल के बर्तन/डेकोरेशन सामग्री का उत्पादन, फर्नीचर काष्टशिल्प, मूंज पर आधारित वस्तु निर्माण, हेयर कटिंग सैल्यून, सूक्ष्म जलपान/ढाबा केन्द्र, मिट्टी के बर्तन का कार्य, दुग्ध उत्पादन, टेराकोटा/ब्लैक पाटरी, साड़ी बुनाई एवं छपाई एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य कार्य।
	गाजीपुर	78	780000	
	जौनपुर	102	1020000	
	चन्दौली	44	440000	
	वाराणसी मंडल	262	2620000	
13—मिर्जापुर मण्डल	मिर्जापुर	58	580000	दोनापत्तल कागज की प्लेट्स/थाली, पीतल के बर्तन/डेकोरेशन सामग्री का उत्पादन, फर्नीचर काष्टशिल्प, मूंज पर आधारित वस्तु निर्माण, हेयर कटिंग सैल्यून, सूक्ष्म जलपान/ढाबा केन्द्र, मिट्टी के बर्तन का कार्य, दुग्ध उत्पादन, टेराकोटा/ब्लैक पाटरी, साड़ी बुनाई एवं छपाई
	सोनभद्र	38	380000	
	संतरविदासनगर	28	280000	
	मिर्जापुर मंडल	124	1240000	

				एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य कार्य।
14—गोरखपुर	गोरखपुर	92	920000	दोनापत्तल कागज की प्लेट्स/थाली, पीतल के बर्तन/डेकोरेशन सामग्री का उत्पादन, फर्नीचर काष्टशिल्प, मूंज पर आधारित वस्तु निर्माण, हेयर कटिंग सैल्यून, सूक्ष्म जलपान/ढाबा केन्द्र, मिट्टी के बर्तन का कार्य, दुग्ध उत्पादन, टेराकोटा/ब्लैक पाटरी, साड़ी बुनाई एवं छपाई एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य कार्य।
	देवरिया	78	780000	
	कुशीनगर	68	680000	
	महराजगंज	58	580000	
	गोरखपुर मंडल	296	2960000	
15—बस्ती मण्डल	बस्ती	68	680000	दोनापत्तल कागज की प्लेट्स/थाली, पीतल के बर्तन/डेकोरेशन सामग्री का उत्पादन, फर्नीचर काष्टशिल्प, मूंज पर आधारित वस्तु निर्माण, हेयर कटिंग सैल्यून, सूक्ष्म जलपान/ढाबा केन्द्र, मिट्टी के बर्तन का कार्य, दुग्ध उत्पादन, टेराकोटा/ब्लैक पाटरी, साड़ी बुनाई एवं छपाई एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य कार्य।
	सिद्धार्थनगर	68	680000	
	संतकबीरनगर	44	440000	
	बस्ती मंडल	180	1800000	
16—आजमगढ़	आजमगढ़	108	1080000	दोनापत्तल कागज की प्लेट्स/थाली, पीतल के बर्तन/डेकोरेशन सामग्री का उत्पादन, फर्नीचर काष्टशिल्प, मूंज पर आधारित वस्तु निर्माण, हेयर कटिंग सैल्यून, सूक्ष्म जलपान/ढाबा केन्द्र, मिट्टी के बर्तन का कार्य, दुग्ध उत्पादन, टेराकोटा/ब्लैक पाटरी, साड़ी बुनाई एवं छपाई एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य कार्य।
	मऊ	44	440000	
	बलिया	82	820000	
	आजमगढ़ मंडल	234	2340000	
17—फैजाबाद	फैजाबाद	44	440000	दोनापत्तल कागज की प्लेट्स/थाली, पीतल के बर्तन/डेकोरेशन सामग्री का उत्पादन, फर्नीचर काष्टशिल्प, मूंज पर आधारित वस्तु निर्माण, हेयर कटिंग सैल्यून, सूक्ष्म जलपान/ढाबा केन्द्र, मिट्टी के बर्तन का कार्य, दुग्ध उत्पादन, टेराकोटा/ब्लैक पाटरी, साड़ी बुनाई एवं छपाई
	बाराबंकी	82	820000	
	सुल्तानपुर	108	1080000	
	अम्बेडकरनगर	44	440000	
	फैजाबाद मंडल	278	2780000	

				एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य कार्य।
18–देवीपाटनमण्डल	गोण्डा	78	780000	दोनापत्तल कागज की प्लेट्स/थाली, पीतल के बर्तन/डेकोरेशन सामग्री का उत्पादन, फर्नीचर काष्टशिल्प, मूंज पर आधारित वस्तु निर्माण, हेयर कटिंग सैल्यून, सूक्ष्म जलपान/ढाबा केन्द्र, मिट्टी के बर्तन का कार्य, दुग्ध उत्पादन, टेराकोटा/ब्लैक पाटरी, साड़ी बुनाई एवं छपाई एवं स्थानीय आवश्यकता के अनुसार अन्य कार्य।
	बहराईच	68	680000	
	बलरामपुर	44	440000	
	श्रावस्ती	24	*240000*	
	देवीपाटन मंडल	214	2140000	

1– उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग ए0वी0आर0वाई की गाईड लाईन में निर्धारित मानक तथा दिशा–निर्देशों के अनुरूप किया जायेगा।

2– स्वरोजागार इकाइयों की स्थापना जिला स्तरीय परियोजना निर्माण एवं कियान्वयन समिति के अनुमोदन तथा राज्य स्तरीय/उच्च स्तरीय टास्कफोर्स की सहमति के अनुरूप निर्धारित प्रावधानों– इकाई लागत, लाभार्थी पात्रता तथा बैंक ऋण व लाभार्थी अंशदान आदि की सुनिश्चितता की जायेगी।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि से लक्ष्यानुसार जनपदों में रोजगार इकाईयॉ स्थापित की जायेगी। स्थापित रोजगार इकाईयों के माध्यम से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कुल बैकलाग सहित 01 लाख 35 हजार व्यक्ति रोजगार के अवसर सृजित किये जायेंगे।

4– रोजगार उद्यम स्वभाव की लागत के अनुसार अलग–अलग आर्थिक कार्य कलापों में लाभार्जन होगा। प्रति इकाई/प्रति लाभार्थी को प्रतिमाह न्यूनतम रू0 2000/– की आय अवश्य सुनिश्चित की जायेगी।

5– इस योजनान्तर्गत मार्ग निर्देशानुसार अनुसूचित जाति/जन जाति के लाभार्थी को प्रति इकाई लागत का 33 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0 10,000/– तथा अन्य लाभार्थियों के लिये 25 प्रतिशत अथवा अधिकतम रू0– 7500/–ए0वी0आर0वाई अंश के रूप में अनुदान सहायता राशि उपलब्ध कराई जायेगी। बैंक अंश लाभार्थी अंश की उपलब्धता सुनिश्चित होने के उपरान्त ए0वी0आर0वाई0 अंश के रूप में अनुमन्य अनुदान/सहायता राशि स्वीकृत की जायेगी।

6– संस्थागत वित्त की उपलब्धता हेतु अनुमोदित प्रस्तावानुसार कुल लाभार्थियों के लिये ऋण की धनराशि रू0 177.33 करोड़ की आवश्यकता के अनुरूप सम्बधित बैंकों से

समुचित समन्वय कर ऋण राशि की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाय। आगामी वर्षो के लिये भी समय से लाभार्थियों को वित्तीय व्यवस्था की सुलभता के लिये जनपद स्तरीय बैंक के "क्रेडिट प्लान" में भी लक्षित लाभार्थियों/परियोजना इकाइयों के अनुसार समावेश कराया जाय। इस हेतु खण्ड विकास अधिकारी एवं जनपद स्तरीय अधिकारी द्वारा भली–भॅति दायित्वों का निर्वहन किया जाय।

7– परियोजना का संचालन शहरी क्षेत्रों में नहीं केवल ग्रामीण क्षेत्रों में किया जायेगा।

8– स्वीकृत परियोजनाओं के अन्तर्गत लच्छित रोजगार प्रदान करने के लिए ग्राम स्तर को इकाई मानते हुए विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर प्रभावी कियान्वयन, अनुश्रवण तथा अनुसरण का दायित्व निर्वहन किया जायेगा। विकास खण्ड स्तर पर प्रचार–प्रसार कर लाभार्थियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायें जिससे स्वरोजगार हेतु इच्छुक एवं पात्र लाभार्थी किसी भी दशा में वंचित न रहें और अपात्र लाभान्वित न हो।

9– परियोजनान्तर्गत उत्पादित उत्पाद के विपणन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाये, जिससे लाभार्थी अपने उत्पादित सामग्री का एक निश्चित स्थान एवं विपणन संस्था को विक्रय कर अच्छी कीमत प्राप्त कर सकें।

10–परियोजना का लाभ जनसामान्य को मिल सके, अतएव स्थानीय स्तर पर प्रचुर जानकारी दी जाये एवं प्रचार–प्रसार भी व्यवस्थित रूप से किया जाये। परियोजनान्तर्गत सफलता की कहानी का स्वरूप तैयार कर सफल इकाईयों के प्रदर्शन के आधार पर लाभार्थियों का कौशल संवर्धन भी किया जाये जिससे कमजोर लाभार्थी भी सफल लाभार्थी का अनुकरण कर अपने रोजगार इकाईयों को ऊॅचा उठा सकें।

11–योजनान्तर्गत उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन दी जा रही है कि प्रस्तावानुसार चिन्हित आर्थिक कार्यकलाप/उद्यम स्वभाव के अनुरूप रोजगार की इकाई लागत रहेगी, परन्तु रू0–45000/– इकाई लागत न्यूनतम रहेगी तथा औसत इकाई लागत रू0–70000/– अवश्य रहेगी। औसत इकाई लागत रू0 70,000/– में रू0 45,000/– परिसम्पत्ति /मशीन/उपकरण आदि हेतु बैंक से ऋण के रूप में तथा कच्चा माल हेतु रिवाल्विंग फण्ड के लिए रू0 7500/– सामान्य एवं रू0 10,000/– स्पेशल कम्पोनेंट मद के अन्तर्गत चिन्हित लाभार्थियों को राजकीय सहायता के रूप में ए.वी.आर.वाई. अंश से तथा शेष रू0 17,500/– सामान्य एवं रू0 15,000/–

स्पेशल कम्पोनेंट के लाभार्थी द्वारा श्रमांश/विपणन विषयक आदि कार्य हेतु सम्मिलित रहेगा।

12—लाभार्थियों का चयन तकनीकी प्रशिक्षण/कौशल उन्नयन, बैंक से ऋण की उपलब्धता एवं उत्पादित माल के उचित कीमत लाभर्थियों को भुगतान तथा उपयुक्त आय सृजन आदि की सुनिश्चितता हेतु मुख्यालय से लेकर फील्ड तक सभी स्तरों पर नियमित अनुश्रवण, भौतिक सत्यापन तथा अनुसरण कर परियोजना को सफल बनाया जाये। इस हेतु परियोजना कार्यान्वयन से संबधित यथा—विकास खण्ड, जनपद एवं मुख्यालय स्तर पर नोडल अधिकारी नामित कर उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाये और अनुमोदित परियोजना प्राविधान के अनुसार विस्तृत दिशा—निर्देश दिये जायें।

13—परियोजना विशिष्टता के अनुसार एस0जी0एस0वाई0 के अंतर्गत ए0पी0एल0 लाभार्थी जो स्वयं सहायता समूहों के सदस्य हैं और द्वितीय ग्रेडिंग भी उत्तीर्ण कर चुके हैं परन्तु एसजीएसवाई के माध्यम से कोई आर्थिक सहायता नहीं प्राप्त करते हैं, उनको भी स्वतः स्वरोजगार हेतु अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के मानकों के अनुरूप परियोजना में लाभान्वित किया जा सकता है। परियेाजनान्तर्गत एस0जी0एस0वाई0 में गठित स्वयं सहायता समूहों के चयनित ए0पीं0एल0 परिवार के अतिरिक्त यदि समूहों में ऐसे लाभार्थी नही है तो ऐसी स्थिति में अन्य व्यक्ति जो रोजगार के लिये इच्छुक हों और उद्यम विशेष में रूचि रखते हो, उन्हें भी चिन्हित कर लाभान्वित किया जायेगा।

14—स्वीकृत इस परियोजनान्तर्गत स्थापित इकाईयों के माध्यम से सृजित होने वाला रोजगार सृजन एसजीएसवाई योजना के अन्तर्गत गणना न होगी, अपितु अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के अन्तर्गत वित्त पोषण होने के परिणमस्वरूप परियोजनान्तर्गत की प्रगति में गणना करते हुए उपलब्धि में दर्शाया जायेगा।

15—परियोजना के कार्यान्वयन में यह भी विशेष रूप से ध्यान रखा जाये कि एक ही स्वभाव विशेष की इकाईयॉ स्थापित न हों। अपितु रोजगार सृजन हेतु विभिन्न आर्थिक गतिविधियॉ विकसित करने की दृष्टि से स्वरोजगार हेतु स्वीकृत सभी आर्थिक उद्यमों में इकाईयॉ स्थापित की जायें।कलस्टर एप्रोच में रोजगार इकाईयों की स्थापना हेतु प्रमुखता दी जाये।

16—जिला स्तर पर अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्तर्गत गठित जिला स्तरीय प्रोजेक्ट निर्माण एवं कार्यान्वयन समिति में साप्ताहिक अनुश्रवण किया जाये तथा आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा पाक्षिक समीक्षा कर मासिक प्रगति आख्या शासन को उपलब्ध

कराई जाये। प्रगति आख्या/सत्यापन रिपोर्ट प्रतिमाह की 07 तारीख तक निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

17–धनराशि का उपयोग अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना की गाइडलाइन्स के अनुक्रम में अनुमोदित परियोजना के अनुमन्य मदों में किया जाये। स्वीकृत धनराशि को किसी ऐसे मद पर कदापि व्यय न किया जाये जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका का बजट मैनुअल के अंतर्गत शासन या सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति या स्वीकृति आवश्यक हो, ऐसे व्यय शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति व स्वीकृति के प्राप्त करने के बाद ही किया जाये। व्यय में की गई किसी भी अनियमितता के लिए आहरण वितरण अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगें। अतिरिक्त धनराशि की प्राप्ति की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय कदापि न किया जाये। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाये।

18–परियोजनान्तर्गत स्वरोजगार सृजन के लक्षित उपलब्धि हेतु स्वीकृत धनराशि जनपदों को फांट तैयार कर कार्ययोजना सहित उपलब्ध कराई जाये और जनपदवार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति लक्ष्यानुसार सुनिश्चित की जाये।

19–योजनान्तर्गत स्वीकृत धन का इसी वर्ष उपयोग कर लिया जाएगा और फिर भी यदि कोई धनराशि चालू वित्तीय वर्ष के अंत में शेष रहती है, तो वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व समर्पण अथवा राजकोष में जमा की जाये। धनराशि को बैंक खाते में कदापि न रखा जाये। पी0एल0ए0 में भी धनराशि रखने की अनुमन्यता न होगी।

20–स्वीकृत धनराशि की उपयोगिता का प्रमाण पत्र वित्तीय वर्ष के अंत तक शासन को अवश्य उपलब्ध करा दिया जाये।

21–स्वरोजगार हेतु वायबल इकाईयॉ ही स्थापित की जायें एवं उनकी लाभप्रदता सुनिश्चित करने हेतु सभी बैकवर्ड/फारवर्ड लिंकेजज की व्यवस्था अवश्य सुनिश्चित की जाये।

22– प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पी.एम.ई.जी.पी.) के अन्तर्गत रोजगार सृजन इकाईयॉ स्थापित की जा रही हैं , जिसका कियान्वयन उद्योग तथा खादी ग्रामोद्योग विभाग द्वारा किया जा रहा है। अधिकाधिक एवं लक्षित उद्देश्यानुसार रोजगार इकाईयों की स्थापना हेतु यह विशेष ध्यान रखा जाये, कि अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्तर्गत स्थापित होने वाली रोजगार इकाईयों में प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लाभार्थी चिन्हित न किये जायें। अर्थात किसी भी दशा में डुप्लीकेशन न

होने पाये। कियान्वयन संस्था इसकी सुनिश्चितता लाभार्थी के चयन एवं वित्त पोषण के समय ही सुनिश्चित करेंगे ।

23—स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय, भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप किया जायेगा।

24—धनराशि का अहरण दो किश्तों में किया जायेगा। प्रथम किश्त का 75 प्रतिशत व्यय होने के पश्चात दूसरी किश्त आहरित की जायेगी।

25—हथकरघा वस्त्रउद्योग के अन्तर्गत विभिन्न आर्थिक कार्य किये जा रहे है और अवस्थापना सुविधायें विकसित की गई हैं। अतएव सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं/प्रतिष्ठानों से टाईअप कर अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्तर्गत स्थापित होने वाली स्वरोजगार इकाईयों को हथकरघा वस्त्रउद्योग के कार्यकलापों व अवस्थापना सुविधाओं का लाभ दिया जाये।

26—अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्र्तगत पूर्व वर्षो में प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों एवं मध्य उत्तर प्रदेश में हरी छाल केला विकास, संकर टमाटर एवं शंकर प्रजाति सब्जी उत्पादन तथा बुन्देलखण्ड में नीबू प्रजाति उद्यानीकरण के अतिरिक्त सघन मिनी डेयरी एवं पशु नस्ल विकास हेतु पैरावेट्स परियोजना को संचालित कर सफल प्रयास किये गये थे । वर्तमान में उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना(यू0पी0डी0एस0पी0) के अन्तर्गत विभिन्न प्रकासर के कार्यक्रम संचालित होते हैं। इसके अतिरिक्त कृषि एवं एलाईड सेक्टर में विभिन्न आर्थिक गति विधियॉ विकसित की जा रही है। अतएव इनके माध्यमों से स्थापित सुविधाओं का लाभ अम्बेडकर विशेष रोजगार योजनान्तर्गत आच्छादित रोजगार ईकाईयों को विशेषरूप से कच्चा माल, प्रशिक्षण, उपलब्ध संसाधन एवं मूल्य संवर्धन (Value addition) में दिलाने हेतु प्रयास किये जायें।

27— ग्राम्य विकास विभाग में आयुक्त निदेशालय स्तर पर सम्बन्धित प्रभारी अधिकारी द्वारा सतत्रूप से जनपदवार अनुश्रवण कर योजना लक्ष्यों के अनुरूप प्रगति सुनिश्चित किया जाये और राज्य स्तरीय बैठक में समीक्षा कर रोजगार सृजन योजना को सफल बनाया जाए।

2— उक्त प्रस्तर—1 से 27 में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन किया जायेगा। इस हेतु आयुक्त, ग्राम्य विकास स्तर पर मुख्य वित्त लेखाधिकारी, अपर आयुक्त, (लेखा) तथा ए0वी0आर0वाई0 के परियोजना अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

go 999

3– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक अनुदान संख्या–83 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रम–आयोजनागत–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–05–अम्बेडकर रोजगार योजना–27–सब्सिडी" " के नामे डाला जायेगा।

4– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0–ई–3/ 446 /दस–2011, दिनांक–28 फरवरी, 2011 में प्राप्त सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(सत्येन्द्र कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– (1)/38–6–2011–तद्दिनांक

प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– महालेखाकार(आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3– निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4– अपर आयुक्त(लेखा), ग्राम्य विकास, जवाहर भवन, लखनऊ।
5– समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त मुख्य विकास अधिकारी/संयुक्त विकास आयुक्त/परियोजना निदेशक, डी0आर0डी0ए0, उत्तर प्रदेश।
7– वित्त(व्यय–नियंत्रण) अनु0–2/!3/राज्य योजना आयोग अनुभाग–1/2, ग्रा0वि0–3
8– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(उमाशंकर सिंह)
अनु सचिव।

go 1000